



27/6/16

पत्रावली न्याय आप के हाथ के न्युम्ब 78 615 मे पेश  
 हुडी वकील कादी व वकील प्रहिकादी हा 2 उप  
 वकील प्रहिकादी हा 2 ने प्रांपत्र आदेश 22  
 नियम 3 धारा 151 सी पी सी के सम्बन्ध  
 मे प्रांपत्र को स्वीकार करने मे कोई एतराज  
 नही होने का अभिकथन किया  
 प्रमाण के लक्ष्य एवं परिस्थितियों को देखते  
 हुए कादी गण के हाथ प्रस्तुत प्रांपत्र अर्जत  
 आदेश 22 नियम 3 सफाई धारा 151 सी पी सी  
 को स्वीकार किया जाकर मूलत कादी हा 1 के  
 स्थान पर उनके कारिसान को कादी गण पक्ष का  
 मुकदमा बनाया जाय व कादी गण ने सर्वोचित  
 शर्तों के साथ किया / जो शामिल मिसल किया गया।  
 वरु उमय पक्ष का न सुनी गयी पत्रावली  
 वाले आदेश दि 30 6-16 को पेश है



0.6-16

पत्रावली पेश हुडी वकील उमय पक्ष उप  
 निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल  
 किया गया। पत्रावली केवल शुक्र हो कर नम्बर  
 से क्रम ठीक बाद लखी व लखी व दादी व  
 देपल है।

  
 उप सण्ड अधिकारी  
 अनपगत

7 पत्रावली पेश हुई। ककील उभय पक्ष उपरी  
 प्रतिवादी स०२ उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर  
 अन्तिम बहस चुनी गई। किली पक्ष का हाथ  
 विभाजन प्रस्ताव पर उजर नहीं दिया गया।  
 पराकार विभाजन प्रस्ताव पर सहमत हो गए।  
 अन्तिम डिक्ली जारी हो। पत्रावली फेदल शुका  
 होकर मम्मर से काम होना बाद लेखी व  
 त ककील दायिल दफ्त हो।

